बिहार सरकार
गन्ना उद्योग विभाग

पत्रांक–01/विकास–16357/2025– 187 स्वी०/CC   पटना, दिनांक– 16 जून, 2026

प्रेषक,

अनिल कुमार झा, भा०प्र०से०
ईखायुक्त, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

द्वारा– **आंतरिक वित्तीय सलाहकार।**

विषय : **वित्तीय वर्ष 2026–27 में राज्य योजना अंतर्गत " सिंगल बड प्लान्टलेट्स पर आधारित गन्ना नर्सरी की स्थापना " हेतु कुल 497.00 लाख रू0 (चार करोड़ सनतानवें लाख रूपये) के योजना का कार्यान्वयन एवं व्यय की स्वीकृति।**

आदेशः **स्वीकृत।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2026–27 में राज्य योजना अंतर्गत " सिंगल बड प्लान्टलेट्स पर आधारित गन्ना नर्सरी की स्थापना " हेतु कुल 497.00 लाख रू0 (चार करोड़ सनतानवें लाख रूपये) के योजना का कार्यान्वयन एवं व्यय की स्वीकृति दी जाती है।

2. राज्य में पर्याप्त मात्रा में गुणवत्तायुक्त गन्ना बीज की उपलब्धता सुनिश्चित कराना, नई तकनीक से गन्ना खेती को प्रोत्साहित करना, पारंपरिक बीज पद्धति की तुलना में कम बीज दर में अधिक क्षेत्र आच्छादन को बढ़ावा देना एवं राज्य में गन्ना नर्सरी की स्थापना के माध्यम से गुणवत्तायुक्त रोपण सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए किसानों के लिए रोजगार के अवसरों में वृद्धि, आय में सतत सुधार तथा गन्ना उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करना इस योजना का उद्देश्य है।

3. योजना का भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य निम्नवत् है–

क्र0 सं0	कार्य अवयव	भौतिक लक्ष्य (संख्या)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में)
1	2	3	4
1	सिंगल बड प्लान्टलेट्स पर आधारित गन्ना नर्सरी की स्थापना (अनुदान दर कुल लागत का 75 प्रतिशत अधिकतम 11.25 लाख प्रति नर्सरी)	41	461.25
2	सिंगल बड प्लान्टलेट्स पर आधारित गन्ना नर्सरी की सार्वजनिक संस्थान में स्थापना (अनुदान कुल लागत का 100 प्रतिशत अधिकतम 15.00 लाख प्रति नर्सरी)	02	30.00
3	SRI, Pusa में सिंगल बड प्लान्टलेट्स पर आधारित गन्ना नर्सरी के संचालन हेतु प्रशिक्षण	--	5.75
	योग –		**497.00**

4. गन्ना नर्सरी का इकाई लागत प्रारूप **परिशिष्ट–1** तथा कार्यालयवार स्वीकृत योजना का भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य **परिशिष्ट–2** के रूप में संलग्न है।

15/6/2026

5. योजना का कार्यान्वयन उप निदेशक, ईख विकास/सहायक निदेशक, ईख विकास के द्वारा किया जाएगा। इस योजनांतर्गत स्वीकृत राशि की निकासी हेतु संबंधित उप निदेशक, ईख विकास एवं सहायक निदेशक, ईख विकास निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे तथा स्वीकृत राशि की निकासी संबंधित कोषागार से की जाएगी। **परिशिष्ट–3** में अंकित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अपने संबंधित कोषागार से राशि की निकासी करेगें। योजना के कार्यान्वयन की समय सीमा 31 मार्च, 2027 तक होगा।

6. संबंधित उप निदेशक, ईख विकास/सहायक निदेशक, ईख विकास द्वारा योजना का कार्यान्वयन केन केयर पोर्टल के माध्यम से प्राप्त आवेदन एवं विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए किया जाएगा।

7. इस योजनांतर्गत लाभार्थियों को अनुदान की राशि का भुगतान तीन चरणों में CFMS के माध्यम से किया जाएगा। किसी भी प्रकार के गलत भुगतान के लिए संबंधित उप/सहायक निदेशक, ईख विकास पूर्णतः जवाबदेह होंगे।

8. इस योजना के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय वर्ष 2026–27 में बजट शीर्षवार उपबंधित राशि एवं विकलनीय राशि का विवरण निम्न प्रकार है:–

क्रम संख्या	बजट शीर्ष	विषय शीर्ष	निकासी हेतु स्वीकृत राशि/ विकलनीय राशि (लाख रू0)
1.	<u>सामान्य वर्ग–</u> मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म–उप मुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–108 वाणिज्यिक फसलें मांग संख्या–45 उप शीर्ष–0109 ईख विकास विपत्र कोड–45–2401001080109	33 01 सब्सिडी	411.01900
2.	<u>अनुसूचित वर्ग–</u> मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म–उप मुख्यशीर्ष–00–लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–मांग संख्या– 45–उपशीर्ष–0108–ईख विकास विपत्र कोड संख्या–45–2401007890108 विषय शीर्ष–33 01 सब्सिडी।	33 01 सब्सिडी	79.52000
3.	<u>अनुसूचित जनजाति वर्ग–</u> मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म–उप मुख्यशीर्ष –00 लघुशीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उप योजना–मांग संख्या–45– उपशीर्ष–0129–ईख विकास, विपत्र कोड संख्या– 45–2401007960129, विषय शीर्ष–33 01 सब्सिडी।	33 01 सब्सिडी	6.46100
	योग–		**497.00**

9. ईखायुक्त, बिहार योजना के नियंत्री पदाधिकारी होंगे। क्षेत्रीय स्तर पर संबंधित उप निदेशक, ईख विकास एवं सहायक निदेशक, ईख विकास के द्वारा समय–समय पर योजनाओं का अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण किया जायेगा।

15/6/2026

10. इस योजना का विस्तृत कार्यान्वयन अनुदेश **परिशिष्ट–4** के रूप में संलग्न है। आवश्यकतानुसार अनुदेश में संशोधन किया जा सकेगा।

11. वित्त विभाग के पत्रांक–2561 (वि0)2 दिनांक–17.04.1998 का अनुपालन निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

12. योजना प्रस्ताव पर विभागीय स्थायी वित्त समिति की दिनांक–13.05.2026 को आयोजित बैठक में अनुशंसा प्राप्त है।

13. वित्त विभाग के संकल्प संख्या सं0–343 / वि॰ दिनांक–09.04.2026 में निहित प्रावधान के आलोक में संचिका सं0–01 / विकास–16357 / 2025 में स्कीम स्क्रीनिंग समिति की अनुशंसा दिनांक–03.06.2026 को प्राप्त है।

14. राज्यादेश प्रारूप एवं प्रस्ताव पर वित्त विभागीय संकल्प संख्या–12888 / वि० दिनांक–03.12.2024 की कंडिका–2 (क) के आलोक में सचिव, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन संचिका सं0–01 / विकास–16357 / 2025 के पृष्ठ सं0–18 / टि0 पर दिनांक–12.06.2026 को प्राप्त है।

15. राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं0–01 / विकास–16357 / 2025 के पृष्ठ सं0–17 / टि0 पर दिनांक–11.06.2026 को प्राप्त है।

16. वित्त विभाग के पत्रांक 7355 दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

अनुलग्नक–यथोक्त:

विश्वासभाजन

15/6/2026

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञाप संख्या–01 / विकास–16357 / 2025– 187 स्वी0 / CC पटना, दिनांक– 16 जून, 2026

प्रतिलिपि– कोषागार पदाधिकारी, बेतिया / मोतीहारी / गोपालगंज / सीतामढ़ी / समस्तीपुर / सिवान / मुजफ्फरपुर / भागलपुर / दरभंगा / सहरसा / पूर्णियाँ / जमुई / आरा / गयाजी / पटना / वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना / कुलपति, डा0 राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविघालय, पूसा (समस्तीपुर) / निदेशक, ईख अनुसंधान संस्थान, पूसा, समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/6/2026

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञाप संख्या–01/विकास–16357/2025– 187 स्था०/CC पटना, दिनांक– 16 जून, 2026

प्रतिलिपि– सभी उप निदेशक, ईख विकास/सभी सहायक निदेशक, ईख विकास तथा महाप्रबंधक/कार्यपालक अध्यक्ष, राज्य की सभी कार्यरत चीनी मिल/सचिव, बिस्मा/सभी विशेष ईख पदाधिकारी एवं ईख पदाधिकारी/SIO, NIC, Patna/वरीय तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0, पटना/बजट शाखा/लेखा शाखा, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. आई0 टी0 प्रबंधक, गन्ना उद्योग विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

15/6/2026

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञाप संख्या–01/विकास–16357/2025– 187 स्था०/ [illegible] पटना, दिनांक– 16 जून, 2026

प्रतिलिपि– माननीय मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/ईखायुक्त, बिहार के निजी सहायक को सूचनार्थ प्रेषित।

15/6/2026

ईखायुक्त, बिहार।

परिशिष्ट–1

सिंगल बड प्लान्टलेट्स पर आधारित गन्ना नर्सरी की स्थापना हेतु ईकाई दर			
क्षमता – 05.00 लाख सिंगल बड प्लान्लेट्स			
क्र0सं0	मद	मात्रा	लागत मूल्य (रू0 में)
	स्थापना व्यय		
1	पॉलीटनल मल्टीरैक (10 m x 6 m x 4 m)	1	100000
2	सिंगल बड कटर मशीन	1	50000
3	जूस मशीन	1	90000
4	बीज उपचार डिवाईस	1	65000
5	प्रो–ट्रै (50 छिद्र @ रू0 20)	50000	400000
6	समरसिबल पम्प	1	100000
7	स्प्रिंकलर सिंचाई	1	50000
8	ट्रान्सपोर्ट ट्राली (रैक आधारित)	1	500000
	संचालन व्यय		
9	वर्मीकम्पोस्ट		20000
10	कोकोपिट		50000
11	थीमेट 10 जी॰		5000
12	कारबेन्डाजिम		8000
13	मृदा + बालू		5000
14	रसायन (बीज उपचार हेतु)		25000
15	आकस्मिकता		32000
कुल लागत			**1500000**
	अनुदान दर कुल लागत का 75 प्रतिशत अधिकतम		**1125000**

15/10/2024

ईखायुक्त, बिहार।

परिशिष्ट–2

वित्तीय वर्ष 2026–27 में " सिंगल बड प्लान्टलेट्स पर आधारित गन्ना नर्सरी की स्थापना " योजनांतर्गत चीनी मिल एवं गैर चीनी मिल क्षेत्र के कार्यालयवार स्वीकृत भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू० में)

(विषय शीर्ष 33 01 सब्सिडी)

क्र० सं०	कार्यालय का नाम	संबद्ध चीनी मिल का नाम	सिंगल बड प्लान्टलेट्स पर आधारित गन्ना नर्सरी की स्थापना (अनुदान दर कुल लागत का 75 प्रतिशत अधिकतम 11.25 लाख प्रति नर्सरी)								सिंगल बड प्लान्टलेट्स पर आधारित गन्ना नर्सरी की सार्वजनिक संस्थान में स्थापना (अनुदान कुल लागत का 100 प्रतिशत अधिकतम 15.00 लाख प्रति नर्सरी)								SRI, Pusa में सिंगल बड प्लान्टलेट्स पर आधारित गन्ना नर्सरी के संचालन हेतु प्रशिक्षण				कुल योग			
			सामान्य		अनु० जाति		अनु० जनजाति		योग		सामान्य		अनु० जाति		अनु० जनजाति		योग		सामान्य	अनु० जाति	अनु० जनजाति	योग	सामान्य	अनु० जाति	अनु० जनजाति	योग
			भौतिक (संख्या)	वित्तीय	भौतिक (संख्या)	वित्तीय	भौतिक (संख्या)	वित्तीय	भौतिक (संख्या)	वित्तीय	भौतिक (संख्या)	वित्तीय	भौतिक (संख्या)	वित्तीय	भौतिक (संख्या)	वित्तीय	भौतिक (संख्या)	वित्तीय	वित्तीय	वित्तीय	वित्तीय	वित्तीय	वित्तीय	वित्तीय	वित्तीय	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	सहायक निदेशक, ईख विकास, बगहा	बगहा/हरिनगर/लौरिया	3	33.75000	3	33.75000	0	0.00000	6	67.50000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0	0	0.00000	33.75000	33.75000	0.00000	67.50000
2	सहायक निदेशक, ईख विकास, बेतिया	मझौलिया/नरकटियागंज	2	22.50000	2	22.50000	0	0.00000	4	45.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0	0	0.00000	22.50000	22.50000	0.00000	45.00000
3	सहायक निदेशक, ईख विकास, मोतिहारी	एच० पी० सी० एल० बायोफ्यूल्स लि०, सुगौली	2	22.50000	0	0.00000	0	0.00000	2	22.50000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0	0	0.00000	22.50000	0.00000	0.00000	22.50000
4	सहायक निदेशक, ईख विकास, गोपालगंज	सिधवलिया/विष्णु सुगर मिल्स लि०, गोपालगंज	2	22.50000	2	22.50000	0	0.00000	4	45.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0	0	0.00000	22.50000	22.50000	0.00000	45.00000
5	सहायक निदेशक, ईख विकास, सीतामढ़ी	रीगा सुगर मिल, रीगा	2	22.50000	0	0.00000	0	0.00000	2	22.50000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0	0	0.00000	22.50000	0.00000	0.00000	22.50000
6	सहायक निदेशक, ईख विकास, समस्तीपुर	हसनपुर सुगर मिल, हसनपुर, समस्तीपुर	2	22.50000	0	0.00000	0	0.00000	2	22.50000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0	0	0.00000	22.50000	0.00000	0.00000	22.50000
7	सहायक निदेशक, ईख विकास, सिवान	बजाज हिन्दुस्तान सुगर मिल, प्रतापपुर	2	22.50000	0	0.00000	0	0.00000	2	22.50000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0	0	0.00000	22.50000	0.00000	0.00000	22.50000
8	सहायक निदेशक, ईख विकास, मुजफ्फरपुर	–	2	22.50000	0	0.00000	0	0.00000	2	22.50000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0	0	0.00000	22.50000	0.00000	0.00000	22.50000
9	सहायक निदेशक, ईख विकास, भागलपुर	–	2	22.50000	0	0.00000	0	0.00000	2	22.50000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0	0	0.00000	22.50000	0.00000	0.00000	22.50000
10	सहायक निदेशक, ईख विकास, दरभंगा	–	5	56.25000	0	0.00000	0	0.00000	5	56.25000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0	0	0.00000	56.25000	0.00000	0.00000	56.25000
11	सहायक निदेशक, ईख विकास, सहरसा	–	2	22.50000	0	0.00000	0	0.00000	2	22.50000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0	0	0.00000	22.50000	0.00000	0.00000	22.50000
12	सहायक निदेशक, ईख विकास, पूर्णिया	–	1	11.25000	0	0.00000	0	0.00000	1	11.25000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0	0	0.00000	11.25000	0.00000	0.00000	11.25000
13	सहायक निदेशक, ईख विकास, जमुई	–	1	11.25000	0	0.00000	0	0.00000	1	11.25000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0	0	0.00000	11.25000	0.00000	0.00000	11.25000
14	सहायक निदेशक, ईख विकास, भोजपुर (आरा)	–	2	22.50000	0	0.00000	0	0.00000	2	22.50000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0	0	0.00000	22.50000	0.00000	0.00000	22.50000
15	सहायक निदेशक, ईख विकास, गया	–	2	22.50000	0	0.00000	0	0.00000	2	22.50000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0	0	0.00000	22.50000	0.00000	0.00000	22.50000
16	सहायक निदेशक, ईख विकास, पटना	–	2	22.50000	0	0.00000	0	0.00000	2	22.50000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0	0	0.00000	22.50000	0.00000	0.00000	22.50000
17	उप निदेशक, ईख विकास, पूसा	–	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	2	23.53900	0	0.00000	2	6.46100	2	30.00000	4.98000	0.77000	0.00000	5.75000	28.51900	0.77000	6.46100	35.75000
	योग–		34	382.50000	7	78.75000	0	0.00000	41	461.25000	2	23.53900	0	0.00000	2	6.46100	2	30.00000	4.98000	0.77000	0.00000	5.75000	411.01900	79.52000	6.46100	497.00000

ईखायुक्त, बिहार।

परिशिष्ट–'3'

वित्तीय वर्ष 2026–27 में " सिंगल बड प्लान्टलेट्स पर आधारित गन्ना नर्सरी की स्थापना " योजनांतर्गत निकासी एवं व्ययन पदाधिकारीवार उनके सामने श्रेणीवार स्वीकृत राशि तथा संबंधित कोषागार का नाम जिससे राशि की निकासी की जायेगी का विवरणी।

क्र0 सं0	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/कार्यालय का नाम	सम्बद्ध चीनी मिल का नाम	स्वीकृत राशि (लाख रू0 में)				कोषागार का नाम जहाँ से राशि की निकासी की जायेगी
			सामान्य	अनु0 जाति	अनु0 जन जाति	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सहायक निदेशक, ईख विकास, बगहा	बगहा/हरिनगर/लौरिया	33.75000	33.75000	0.00000	67.50000	कोषागार, बेतिया, प0 चम्पारण
2	सहायक निदेशक, ईख विकास, बेतिया	मझौलिया/नरकटियागंज	22.50000	22.50000	0.00000	45.00000	कोषागार, बेतिया, प0 चम्पारण
3	सहायक निदेशक, ईख विकास, मोतिहारी	एच0 पी0 सी0 एल0 बायोफ्यूल्स लि0, सुगौली	22.50000	0.00000	0.00000	22.50000	कोषागार, मोतिहारी पूर्वी चम्पारण
4	सहायक निदेशक, ईख विकास, गोपालगंज	सिधवलिया/विष्णु सुगर मिल्स लि0, गोपालगंज	22.50000	22.50000	0.00000	45.00000	कोषागार , गोपालगंज
5	सहायक निदेशक, ईख विकास, सीतामढ़ी	रीगा सुगर मिल, रीगा	22.50000	0.00000	0.00000	22.50000	कोषागार, सीतामढ़ी
6	सहायक निदेशक, ईख विकास, समस्तीपुर	हसनपुर सुगर मिल, हसनपुर, समस्तीपुर	22.50000	0.00000	0.00000	22.50000	कोषागार, समस्तीपुर
7	सहायक निदेशक, ईख विकास, सिवान	बजाज हिन्दुस्तान सुगर मिल, प्रतापपुर	22.50000	0.00000	0.00000	22.50000	कोषागार, सिवान
8	सहायक निदेशक, ईख विकास, मुजफ्फरपुर	–	22.50000	0.00000	0.00000	22.50000	कोषागार, मुजफ्फरपुर
9	सहायक निदेशक, ईख विकास, भागलपुर	–	22.50000	0.00000	0.00000	22.50000	कोषागार, भागलपुर
10	सहायक निदेशक, ईख विकास, दरभंगा	–	56.25000	0.00000	0.00000	56.25000	कोषागार, दरभंगा
11	सहायक निदेशक, ईख विकास, सहरसा	–	22.50000	0.00000	0.00000	22.50000	कोषागार, सहरसा
12	सहायक निदेशक, ईख विकास, पूर्णिया	–	11.25000	0.00000	0.00000	11.25000	कोषागार, पूर्णियाँ
13	सहायक निदेशक, ईख विकास, जमुई	–	11.25000	0.00000	0.00000	11.25000	कोषागार, जमुई
14	सहायक निदेशक, ईख विकास, भोजपुर (आरा)	–	22.50000	0.00000	0.00000	22.50000	कोषागार, आरा (भोजपुर)
15	सहायक निदेशक, ईख विकास, गया	–	22.50000	0.00000	0.00000	22.50000	कोषागार, गया
16	सहायक निदेशक, ईख विकास, पटना	–	22.50000	0.00000	0.00000	22.50000	कोषागार, पटना
17	उप निदेशक, ईख विकास, पूसा	–	28.51900	0.77000	6.46100	35.75000	कोषागार, समस्तीपुर
	योग–	–	411.01900	79.52000	6.46100	497.00000	

ईखायुक्त, बिहार।

Scanned with OKEN Scanner

परिशिष्ट–'4'

वित्तीय वर्ष 2026–27 में राज्य योजना अंतर्गत " सिंगल बड प्लान्टलेट्स पर आधारित गन्ना नर्सरी की स्थापना " के कार्यान्वयन हेतु अनुदेश।

सात निश्चय–3 के अंतर्गत निश्चय–2 "समृद्ध उद्योग–सशक्त बिहार" के तहत वर्तमान में कार्यरत एवं नई चीनी मिलों की स्थापना के दृष्टिगत गन्ना की पर्याप्त उपलब्धता हेतु राज्य में गन्ना का उत्पादन में वृद्धि करना अत्यंत आवश्यक है। गन्ना के उत्पादन हेतु बीज की उपलब्धता के दृष्टिगत गन्ना नर्सरी की स्थापना के माध्यम से कम बीज दर में अधिक क्षेत्र आच्छादन, गुणवत्तायुक्त पौध उपलब्धता, किसानों की आय में वृद्धि तथा राज्य में गन्ना क्षेत्र विस्तार को प्रोत्साहित किया जा सकेगा। इससे चीनी मिलों हेतु पर्याप्त मात्रा में गन्ने की आपूर्ति सुनिश्चित करने में भी सहायता प्राप्त होगी। अतएव उपरोक्त उद्देश्य एवं लक्ष्य की पूर्ति हेतु इस योजना के कार्यान्वयन की स्वीकृति दी गई है। संबंधित सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी बिहार वित्त संशोधित नियमावली एवं समय–समय पर निर्गत परिपत्रों का अनुपालन करते हुए इस योजना का कार्यान्वयन करेंगे।

1. आवेदन की प्रक्रिया एवं मापदण्ड –

(i) इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु विभागीय केन केयर पोर्टल http://ccs.bihar.gov.in पर ऑनलाईन आवेदन किया जायेगा।

(ii) गन्ना नर्सरी की स्थापना हेतु न्यूनतम 400 (चार सौ) वर्गमीटर (m^2) जमीन आवश्यक होगा एवं नर्सरी का क्षमता प्रति वर्ष 05 (पाँच) लाख प्लान्टलेट्स उत्पादन करने का होगा।

(iii) स्थल का अद्यतन जमीन रसीद/भूमि–स्वामित्व प्रमाण पत्र आवेदक के नाम से होना/वंशावली के अधार पर उक्त जमीन आवेदक के पास होना आवश्यक होगा (वंशावली के आधार पर विधिमान्य भू–स्वामित्व का मूल प्रति संलग्न करना आवश्यक होगा)।

(iv) नर्सरी हेतु चयनित जमीन जल–जमाव रहित होना चाहिए।

(v) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के आवेदक को जाति प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

(vi) योजना की इकाई लागत 15.00 लाख रूपये प्रति नर्सरी है। इकाई लागत का अधिकतम 75 प्रतिशत राशि 11.25 लाख रूपये अनुदान तीन किस्तों में दिया जायेगा। सार्वजनिक संस्थान को शत प्रतिशत यानि 15.00 लाख रूपये अनुदान तीन किस्तों में देय होगा।

(vii) नर्सरी हेतु निर्धारित ईकाई लागत राशि से अधिक व्यय होने पर अन्तर राशि का व्यय कृषक/संस्थान के द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा। निर्धारित ईकाई लागत **परिशिष्ट–1** के रूप संलग्न है।

2. आवेदन हेतु पात्रता–

(i) सिंगल बड प्लान्टलेट्स पर आधारित गन्ना नर्सरी की स्थापना हेतु आवेदन करने वाले पात्र नर्सरी संचालक –

- इच्छुक व्यक्तिगत किसान (केन केयर पोर्टल पर पंजीकृत)
- जीविका समूह (कृषि कार्य/गन्ना क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव होना अनिवार्य होगा)
- किसान उत्पादक संगठन (गन्ना क्षेत्र में कार्य करने का कम से कम दो वर्षो का अनुभव होना अनिवार्य होगा)
- पंजीकृत निजी उद्यमी (गन्ना क्षेत्र में कार्य करने का कम से कम दो वर्षो का अनुभव होना अनिवार्य होगा)
- गुड़ उद्यमी/ चीनी मिल।

3. गन्ना नर्सरी हेतु प्राप्त आवेदनों का चयन प्रक्रिया–

(i) प्राप्त आवेदन का स्क्रूटनी–सह–स्वीकृति संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास/ईख पदाधिकारी/कृषि विज्ञान केन्द्र के एक वैज्ञानिक/चीनी मिल के प्रबंधक की समिति के द्वारा की जाएगी। इस समिति के अध्यक्ष संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास एवं शेष सभी सदस्य होगें।

(ii) उक्त समिति के द्वारा आवेदन का स्क्रूटनी–सह–स्वीकृति लक्ष्य के अनुरूप निर्धारित मापदण्डों यथा–नर्सरी योग्य जमीन/सिंचाई की सुविधा/चयनित प्रभेद के बीज की उपलब्धता/गन्ना क्षेत्र में कार्य का अनुभव आदि के आधार पर किया जायेगा।

(iii) समिति से स्वीकृति के उपरांत चयनित आवेदक को संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास के स्तर से स्वीकृति पत्र निर्गत किया जायेगा।

(iv) आवेदन की जांच, अनुशंसा एवं स्वीकृति की प्रक्रिया पोर्टल के माध्यम से संपादित की जायेगी।

(v) संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास का यह दायित्व होगा कि समिति द्वारा स्क्रूटनी से स्वीकृति तक की प्रक्रियाओं संबंधी अभिलेख का संधारण निश्चित रूप से किया जाय।

4. अनुदान भुगतान की प्रक्रिया–

गठित समिति की अनुशंसा एवं निहित प्रक्रियाओं के उपरांत निम्न तीन किस्तों में लाभार्थी को अनुदान का भुगतान किया जायेगा–

(i) **प्रथम किस्त (40%)** – स्वीकृति एवं स्थापना पर

लाभुक के चयन, स्थल सत्यापन एवं नर्सरी स्थापना हेतु आवश्यक तैयारी (भूमि चयन, बेड निर्माण, सिंचाई व्यवस्था आदि) के उपरांत प्रथम किस्त जारी किया जायेगा।

(ii) **द्वितीय किस्त (40%)** – ईकाई लागत अंतर्गत निदेर्शित सभी आवश्यक सामग्रियों का कार्य स्थल पर आपूर्ति उपरांत अनुदान का 40 प्रतिशत राशि द्वितीय किस्त के रूप में जारी किया जायेगा।

(iii) **तृतीय किस्त (20%)** – व्यवसायिक पौध उत्पादन के उपरांत

योजनांतर्गत चयनित प्रभेद का नर्सरी से स्वस्थ एवं गुणवत्तायुक्त पौध तैयार होने, किसानों को वितरण/रोपण तथा अंतिम भौतिक सत्यापन के बाद अंतिम शेष 20 प्रतिशत राशि तृतीय किस्त के रूप में जारी किया जायेगा।

(iv) अनुदान राशि का भुगतान निरीक्षण एवं सत्यापन उपरांत ही निर्धारित मापदण्ड/प्रक्रिया के अनुसार संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास द्वारा किस्तवार अनुदान की राशि का भुगतान लाभुक को सीधे CFMS के माध्यम से किया जायेगा।

5. प्रशिक्षण कार्यक्रम–

(i) SRI, Pusa में सिंगल बड प्लान्टलेट्स पर आधारित गन्ना नर्सरी के संचालन हेतु प्रशिक्षण का आयोजन किया जायेगा।

(ii) नर्सरी हेतु चयनित लाभुक एवं उनके सहयोगी को प्रशिक्षित किया जायेगा।

(iii) प्रशिक्षणार्थियों का चयन एवं प्रशिक्षण हेतु आवश्यक सभी व्यवस्था उप निदेशक, ईख विकास, पूसा के द्वारा ईख अनुसंधान संस्थान, पूसा (समस्तीपुर) से समन्वय कर किया जायेगा।

(iv) इस मद में स्वीकृत राशि के अधीन प्रशिक्षण का आयोजन कराया जायेगा।

13/8/2020

6. सामान्य दिशानिर्देश –

(i) प्लान्लेटस तैयार करने हेतु विभागीय योजनातंर्गत समय–समय पर चयनित गन्ना प्रभेद का ही उपयोग किया जायेगा।

(ii) **प्लान्टलेट वितरण**– उत्पादित प्लान्टलेट का वितरण विभाग द्वारा अनुशंसित कृषकों/क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर किया जायेगा।

(iii) **फोटो एवं जियो–टैगिंग**– नर्सरी स्थापना एवं प्रगति की फोटो तथा आवश्यकता अनुसार जियो–टैगिंग विभागीय पोर्टल पर अपलोड की जायेगी।

(iv) **रोगमुक्त मातृ पौध सामग्री**– प्लान्टलेट तैयार करने हेतु केवल रोगमुक्त एवं स्वस्थ मातृ पौध सामग्री का उपयोग किया जायेगा।

(v) **तकनीकी मानकों का अनुपालन**– प्लान्टलेट उत्पादन, हार्डनिंग एवं रोपण संबंधी सभी कार्य विभाग/अनुसंधान संस्थानों द्वारा निर्धारित तकनीकी मानकों के अनुसार किये जायेंगे।

(vi) **अभिलेख संधारण**– नर्सरी संचालक द्वारा बीज स्रोत, प्रभेद, उत्पादन, वितरण एवं निरीक्षण संबंधी अभिलेख अद्यतन रूप से संधारित किये जायेंगे।

(vii) किसी बाह्य स्त्रोत अर्थात् दूसरे प्रदेशों में प्रचलित किस्मों अथवा किसी अन्य देश से लाये गये सीड मैटेरियल को राज्य में उपयोग किये जाने के सम्बन्ध में ईखायुक्त, बिहार का अनुमति अनिवार्य होगा। ऐसी किस्मों का प्लान्लेटस उत्पादन एवं विक्रय निषिद्ध होगा।

(viii) नर्सरी संचालक द्वारा एक साइन बोर्ड स्थापित किया जायेगा। साइन बोर्ड में " **राज्य योजना अंतर्गत सिंगल बड प्लान्टलेट्स पर आधारित गन्ना नर्सरी की स्थापना योजना (2026–27) अंतर्गत संपोषित** " के साथ अन्य विवरण अंकित किया जायेगा।

(ix) नर्सरी स्थापना के कार्यो का समय–समय पर संबंधित उप निदेशक, ईख विकास एवं सहायक निदेशक, ईख विकास के द्वारा पर्यवेक्षण किया जायेगा।

(x) नर्सरी संचालक के द्वारा उत्पादित किये जा रहे प्लान्टलेट के गुणवत्ता, गन्ना प्रभेद का उपयोग, प्लान्लेटस विक्रय इत्यादि का अनुश्रवण किया जायेगा।

(xi) नर्सरी संचालक द्वारा समय–समय पर प्रगति विवरण एवं प्लान्टलेट उत्पादन संबंधी सूचना विभागीय पोर्टल पर अद्यतन की जायेगी।

10/6/2026

ईखायुक्त, बिहार।